निरीक्षण आख्या कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार पौड़ी** के अवधि 09/2014 से 07/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 04-08-2016 से 17-08-2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री नवीन मौर्या लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22-09-2014 से 01-10-2014 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 08/2011 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 09/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/अधिशासी अभियन्ता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री दिनेश पंत अधिकारी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक
2.	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान वरिष्ठ लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

अधीक्षण अभियंता ने खंड का गत निरीक्षण माह 01/2015 में किया।

खंड के भंडार तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्दवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश माह मार्च एवं सितम्बर 2015 में हुई।

फार्म 51 माह 06/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़ माजरा देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है।

भाग प्रथम- रू. शून्य

भाग द्वितीय - रू. 28805

खंड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 07/2016 के अंत में।

(क) प्रकीर्ण अग्रिम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नकद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप रू. 130437713

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो-अ	भाग दो-ब
100/2014-15	------	1,2,3

(ब) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- शून्य

(द) बजट-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2014-15	161.17	155.42	1377.43	589.73
2015-16	201.22	146.56	2242.68	905.54

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के फलस्वरूप ₹ 15.72 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रा.उ.मा.वि., तेल्यूडांडा में कक्षा, कक्ष, पुस्तकालय,कम्प्यूटर कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु वर्ष 2011 में रू. 29.69 लाखकी स्वीकृति क दी गई थी। जिसे वर्ष 2013 में पुनरीक्षित कर ₹ 47.67 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण निम्नवतः है।

पत्रांक सं.	दिनांक	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में।
1007/2011-12	07/09/2011	4.72
1513/2012-13	22/11/2012	5.07
845-53/2014-15	12/06/2014	5.93
	कुल योग	15.72

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक तीन किस्तों में कुल ₹ 15.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

इसी प्रकार रा.उ.मा.वि. चेलाऊ, नैनीडांडा में मुख्य भवन निर्माण हेतु पत्रांक सं.89-128/-270-नि.का. (13-14)/2014-15 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा ₹ 63.65 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष पत्रांक सं.- रा.मा.शि.अ./57-61/निर्माण कार्य/लेखा/2014-15 दिनांक 29.04.2014 द्वारा ₹ 31.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि दोनों प्रकरणों में निर्माण कार्यो को लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई, 2016) तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। यहं यह भी उल्लेखनीय कि तोल्यूडांडा में निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त वर्ष 2011 में अवमुक्त की गई तथा कार्य आरम्भ न करने के पश्चात भी दूसरी तथा तीसरी किस्त अवमुक्त की गई थी।

इन निर्माण कार्यों के प्रारम्भ न होने के फलस्वरूप इन निर्माण कार्यों के लिए अवमुक्त धनराशि ₹ 15.72 लाख वर्षों से अवरूद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इन कार्यों हेतु कई बार निविदायें आमंत्रित की गई किन्तु की निविदा प्राप्त नहीं हुई। समय-समय पर दरों में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित आगणन भेजे गए जिसके उपरान्त पुनः निविदायें आमंत्रित करने पर निविदायें प्राप्त नही हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला परियोजना अधिकारी, पौड़ी द्वारा दिनांक 06.08.2016 के पत्र में पूर्व को निरस्त करते हुए वर्ष 2016-17 हेतु पुनः स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भिक आगणन मांगे गए जो कि प्रेषित किए गए हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक मात्र तीन बार निविदायें आमंत्रित की गई थी तथा निविदायें प्राप्त न होने की स्थिति में अवमुक्त धनराशि को वापिस किए जाने के लिए इकाई द्वारा वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के फलस्वरूप ₹ 15.72 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ₹ 52.94 लाख का निर्माण कार्य दो वर्षों से अधिक समय तक बन्द पड़ा रहना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार के केन्द्र पोषित योजना के अंतर्गत निर्माण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि शासनादेश संख्या 1518 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा रा.उ.मा.वि. रेस, द्वारीखाल में मुख्य भवन निर्माण हेतु ₹ 58.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 52.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। विवरण निम्नवत है।

पत्रांक	दिनांक	अवमुक्त धनराशि
रा.मा.शि.अ./1518-21/निर्माण कार्य/लेखा/2012-13	28.03.2012	29.41
रा.मा.शि.अभि./68-73/मु.भ./11-12(दि.कि.)/2015-16	15.04.2015	23.53
कुल योग		52.94

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के लिए मै.यूनाइटेड बिल्डर को चयनित किया गया था तथा निर्माण दिनांक 22.08.2013 को प्रारम्भ कर दिनांक 21.08.2014 तक पूर्ण किया जाना था। मै. यूनाइटेड बिल्डर द्वारा माह 08/2014 तक ₹ 16.20 लाख का व्यय कर 30 प्रतिशत कार्य (चिनाई कार्य) करने के पश्चात निर्माण बन्द किया गया था। यह निर्माण कार्य माह 08/2014 से लेखापरीक्षा तिथि तक अर्थात दो वर्षों से अधिक समय से बन्द पड़ा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षों से बन्द पड़े रहने के कारण चिनाई तक निर्माण कार्य में भी क्षति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण निर्माण बन्द है। अधीक्षण अभियन्ता महोदय

को ठेकेदार के कार्य के अन्तमीकरण हेतु संस्तुति की जा चुकी है। अन्तमीकरण उपरान्त निविदा आमंत्रित कर पुनः कार्य कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा माह 08/2014 तक मात्र 30 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था जबकि दिनांक 21.08.2016 तथा कार्य को पूर्ण किया जाना था एवं दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने तक इकाई द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई और नहीं ही कार्य चालू करने के लिए कोई प्रयास किया गया।

अतः ₹ 52.94 लाख का निर्माण कार्य दो वर्षों से अधिक समय तक बन्द पड़ने रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ₹ 196.37 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 83.56 लाख धनराशि व्यय की गयी थी तथा 6 वर्ष पश्चात भी कार्य अपूर्ण है।

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-1 देहरादून के पत्र संख्या 694/XVIII(1)2009-1(10)/2008 दिनांक 31/03/2009 के द्वारा तहसील यमकेश्वर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 196.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 66.16 लाख की धनराशि निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी थी। इसी क्रम में शासनादेश संख्या XVII(1)2013-1(10)2008 दिनांक 29 अगस्त 2013 को ₹ 50.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इसी प्रकार ₹ 196.37 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 116.16 लाख धनराशि कार्यालय को प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गय कि तहसील के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 14/SE/09/10/दिनांक 31/03/2010 का गठन किया गया, अनुबंध की राशि ₹ 63,44,922 कार्य प्रारम्भ की तिथि 31/03/2010 कार्य पूर्ण की तिथि 30/03/2011 थी, इसमें ₹ 3503908 का भुगतान किया गया था दिनांक 30/06/12 को 10% अर्थदण्ड लगा कर इस अनुबंध को खंडित कर दिया गया, क्योंकि ठेकेदार कार्य करने में असमर्थ था, इसके पश्चात अवशेष कार्य हेतु अनुबंध संख्या 05/EE/2012/2013/दिनांक/19/7/12 का गठन किया गया, इसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 19/7/12 कार्य पूर्ण की तिथि 18/01/13 थी, अनुबंध की राशि ₹ 2341859 थी इसमें ₹ 2624765 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था, अर्थात ₹ 6128673 का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था, परंतु वर्तमान तक कार्य अपूर्ण था एवं अनुबंध संख्या 07/EE/2013/2014 दिनांक 27/12/2013 को आवासीय भवन का निर्माण हेतु गठन किया गया था इसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 27/12/2013 थी कार्य पूर्ण की तिथि 26/12/2014 थी। अनुबंध की धनराशि ₹ 3203586 थी। ₹ 2227445 धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है एवं कार्य वर्तमान तक अपूर्ण है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि धनराशि एकमुश्त प्राप्त नहीं हुई थी तथा ठेकेदार द्वारा काम छोड़ दिया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है

क्योंकि एक वर्ष में पूर्ण होने वाले कार्य को 6 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था तथा कार्य अपूर्ण था। ₹ 196.37 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 83.56 लाख धनराशि ही व्यय की गयी थी। अतः विभागीय उदासीनता के कारण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- ग्राहक विभाग के कार्यों से बचत/अवशेष की धनराशि ₹ 847.25 लाख विगत 5 वर्षों से वापस न करना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI प्रस्तुत 634 के अनुसार निक्षेप कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात बचत/अवशेष धनराशि आवश्यक रूप से ग्राहक विभाग को वापस कर देना चाहिये।

अधिशासी अभियंता ग्रामीण विभाग की निक्षेप पंजीकरण भाग-III एवं अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह देखा गया कि माह 07/2011 से माह 06/2016 तक विगत छः वर्षों से 12 विभागों की कुल ₹ 847.25 लाख बचत/अवशेष की धनराशि खण्ड के निक्षेप (Deposit) से पड़ी हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	धनराशि
1.	पर्यटन विभाग	07/2011	33697945.00
2.	दैवीय आपदा	07/2011	922713.00
3.	ग्राम्य विकास विभाग	07/2011	230877.00
4.	राजस्व विभाग	07/2011	2680047.00
5.	शिक्षा विभाग	07/2011	43926780.00
6.	युवा कल्यण विभाग	07/2011	5763.00
7.	प्रतिरूप विभाग	07/2011	107878.00
8.	उद्यान विभाग	07/2011	233413.00
9.	समाज कल्याण विभाग	07/2011	202291.00
10.	चिकित्सा विभाग	07/2011	320513.00
11.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	07/2011	1378152.00
12.	पशुपालन विभाग	07/2011	1019573.00
		योग	**84725945.00**

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्ष से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया की कतिपय निर्माण कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। भुगतान किया जाना है। उत्तर मान्य नहीं है

क्योंकि जो कार्य प्रगति पर है उनके अवशेष धनराशि को सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनके अवशेष/बचत की धनराशि को ही ₹ 847.25 में सम्मिलित किया गया है।

अतः ₹ 847.25 लाख धनराशि (जो पूर्ण कार्यों के बचत से संबंधित) ग्राहक विभाग को वापस नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ₹ 0.52 लाख वेतन कम दिया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 41XXVII(7)सी.घी. 2009 दिनांक 03 फरवरी 2009 एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण विभाग सेवा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 1960/ग्रा.अ.से./स्था/दो-50/2013-14 दिनांक 23.11.2013 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड वेतन 2000 + वेतन बैण्ड में वेतन न्यूनतम ₹ 6460 + 2000 कुल ₹ 8460.00 पर किया जाना चाहिये।

सेवा पुस्तिका की जांच करने पर यह देखा गया श्री मोहित चौधरी (कनि. सहायक) की नियुक्ति दिनांक 29.11.2013 को हुई थी इनकी वेतन बैण्ड में वेतन 5830+2000 ग्रेड वेतन देते हुये कुल ₹ 7830.00 पर वेतन निर्धाण किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसके फलस्वरूप नियुक्ति तिथि से लेखापरीक्षा अवधि तक कुल ₹ 52305.00 वेतन कम दिया गया जिसका देय एवं आहरित का विवरण संलग्नक है।

इस संबंध में यह विभाग से पूछा गया तो विभाग ने अपने उत्तर स्वीकारते हुये यह कहा कि सम्प्रेक्षा दल के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः ₹ 0.52 लाख के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन कम दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- पूर्ण निर्माण कार्यो को संबंधित ग्राहक विभागों को हस्तांतरित न किया जाना।

इकाई के निर्माण संबंधी अभिलेकों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2016 (07/2016) तक कुल 113 कार्य पूर्ण किए गये थे, जिसके सापेक्ष माह जुलाई 2016 के अंत तक कुल 15 कार्य हस्तांतरित किए गए थे, अर्थात 98 पूर्ण निर्माण कार्य संबंधित ग्राहक विभाग को हस्तांतरित किए जाने शेष थे।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्ण निर्माण कार्यों को संबंधित ग्राहक विभागें को हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः 98 पूर्ण निर्माण कार्यों को संबंधित ग्राहक विभागों को हस्तातंरित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।